भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2561

11 अगस्त 2023 को उत्तरार्थ

विषय: बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को प्रदान की गई सहायता

2561. डा. अनिल जैन:

श्री सतीश चंद्र दूबे:

श्री बृजलाल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान मानसून के दौरान देश में बाढ़ प्रभावित राज्यों विशेषकर बिहार राज्य में कृषि फसलों के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): राज्य सरकारों द्वारा गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 (07.08.2023- तक अनंतिम) के दौरान बाढ़/भारी वर्षा के कारण प्रभावित फसल क्षेत्र 4,85,139 हेक्टेयर है।

(ख): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। संबंधित राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार पहले से उनके पास उपलब्ध रहता है। अतिरिक्त सहायता, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से प्रदान की जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण आवश्यक राहत प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों को वर्ष 2023-24 के दौरान एसडीआरएफ की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी करने का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल क्षति/नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और किसानों की आय को स्थिर रखने के लिए खरीफ 2016 सीज़न से उपज आधारित "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (पीएमएफबीवाई) और मौसम आधारित "पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना" (डब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है। इस योजना के तहत बुवाई से पहले से लेकर फसलोपरांत के नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दावों का भुगतान केवल उन्हीं किसानों को किया जाता है जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र/फसल में किसी भी अधिसूचित फसल बीमा योजना के तहत अपने हिस्से के प्रीमियम का भुगतान किया है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक है।

इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) की धारा 3 (4) के तहत, केंद्र सरकार जॉब कार्ड धारकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अतिरिक्त, 50 दिनों का अकुशल मैनुअल काम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में देती है जहां सूखा या प्राकृतिक आपदाएं अधिसूचित की गई हैं। इसकी अधिसूचना, राज्य सरकार की इस आशय की अधिसूचना और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है।

अनुबंध

दिनांक 11.08.2023 के लिए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं.2561 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य आपदा मोचन निधि का जारी केंद्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)			
		17.07.2023 तक	
क्र सं	राज्य का नाम	केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त	केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त
1.	आंध्र प्रदेश	493.60	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	110.40	-
3.	असम	340.40	-
4.	बिहार	624.40	-
5.	छत्तीसगढ	181.60	-
6.	गोवा	4.80	-
7.	गुजरात	1140.00	-
8.	हरियाणा	216.80	-
9.	हिमाचल प्रदेश	180.40	180.40
10.	झारखंड	-	-
11.	कर्नाटक	348.80	-
12.	केरल	138.80	-
13.	मध्य प्रदेश	802.80	-
14.	महाराष्ट्र	1420.80	-
15.	मणिपुर	18.80	-
16.	मेघालय	27.20	-
17.	मिजोरम	20.80	-
18.	नगालैंड	18.40	-
19.	ओडिशा	707.60	-
20.	पंजाब	218.40	-
21.	राजस्थान	653.60	-
22.	सिक्किम	22.40	-
23.	तमिलनाडु	450.00	-
24.	तेलंगाना	188.80	-
25.	त्रिपुरा	30.40	-
26.	उत्तर प्रदेश	812.00	-
27.	उत्तराखंड	413.20	-
28.	पश्चिम बंगाल	446.00	-
	योग:	**10031.20**	**180.40**

******